

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबूरोड

क्रमांक/कोर्ट/2022/2681

दिनांक 21.12.2022

—: आदेश :-

पटवारी हल्का जाम्बुडी के आवेदन व भू अभिलेख निरीक्षक सांतपुर की रिपोर्ट एवं तहसीलदार आबूरोड की अनुशंषा के आधार पर एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तलेटी तहसील आबूरोड जिला-सिरोही की डिजीटाईज्ड नक्शा शीट में अशुद्धि को पूर्व नक्शा ट्रेस लट्ठा/मोमिया नक्शा के अनुसार निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	तलेटी	139	खसरा नम्बर 1296 व 1290 नक्शा शीट में बीच की सीमा रेखा नहीं है।	नक्शा शीट में खसरा नम्बर 1296 व 1290 के बीच सीमा रेखा अंकित की जावे।
2	तलेटी	139	खसरा नम्बर 1297 की तरमीम पूर्व नक्शा ट्रेस लट्ठा अनुसार नहीं है।	खसरा नम्बर 1297 की तरमीम पूर्व नक्शा ट्रेस लट्ठा अनुसार की जावे।
3	तलेटी	139	खसरा नम्बर 1298 की तरमीम पूर्व नक्शा ट्रेस लट्ठा अनुसार नहीं है।	खसरा नम्बर 1298 की तरमीम पूर्व नक्शा ट्रेस लट्ठा अनुसार की जावे।
4	तलेटी	132, 139	खसरा नम्बर 1299, 1300, 1301 और 1298 की तरमीम पूर्व नक्शा ट्रेस लट्ठा अनुसार नहीं है।	खसरा नम्बर 1299, 1300, 1301 और 1298 की तरमीम पूर्व नक्शा ट्रेस लट्ठा अनुसार की जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
पदेन सहायक कलेक्टर आबूरोड
सिरोही
दिनांक 21.12.2022

क्रमांक/कोर्ट/2022/2682-83

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार आबूरोड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
पदेन सहायक कलेक्टर आबूरोड
सिरोही